1

दूरभाष/फैक्स ...05-27.....
ई-मेल usugar...
पैन नं0 MRTU00776A

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स)

53-बी, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

पत्रांक 1396. दिनांक 27/12/12.

अधिशासी निदेशक,
किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा
डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में पूर्व में प्रचलित पदोन्नति नीति को अवकमित करते हुए पदोन्नति नीति 2012 प्रख्यापित कर दी गयी है। उक्त पदोन्नति नीति की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया सम्बन्धित कार्मिकों को भी इस पदोन्नति नीति से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि। (21 पृष्ठ)

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(ए0के0 भट्टाचार्य)
नोडल अधिकारी

प्रभारी कार्मिक

अवलोकित
03/01/013,

सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल डोईवाला/किच्छा हेतु निर्धारित पदोन्नति नीति।

सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.05.1996 को अनुमोदित पदोन्नति नीति उत्तराखण्ड राज्य में भी यथावत लागू की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्बन्ध में पूर्व में प्रचलित नीति को अवक्रमित करते हुए पदोन्नति नीति 2012 प्रख्यापित की जा रही है। जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी –

1– वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अन्तिम प्राप्त वेतनवृद्धि के बराबर एक वेतन वृद्धि देय होगी परन्तु इनकी संख्या 03 से अधिक नही होगी।

2– विभिन्न पदों पर प्रोन्नति/समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य होगी। इस हेतु विभिन्न पदों पर न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गयी है तथा यह वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु अनुमोदित वेतनमानों में उपलब्ध अगला उच्च वेतनमान देय होगा।

3– उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु किसी भी पद पर न्यूनतम कार्य अवधि का निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। पदोन्नति उच्चतर पद के उपलब्ध होने की स्थिति में अर्ह अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर प्रदान की जायेगी।

4– पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन भी किया जायेगा।

5– उपरोक्त नीति के अनुपालन में वर्तमान अधिकारियों की कुल संख्या में कोई वृद्धि प्रस्तावित नही की गयी है।

6– किसी भी रिक्त पद को आवश्यकतानुसार संघ की सेवानियमावली के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति (On Deputation) के आधार पर भरे जाने में कोई आपत्ति नही होगी।

7– उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सेवा नियमों/शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की जानें वाली नीतियों/मानकों का अनुपालन किया जायेगा एवं शासन की सामान्य गाईडलाईन के अनुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा

8– प्रोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की समयमान/प्रोन्नति वेतनमान देय होने की तिथि से पूर्व 05 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को देखा जायेगा। जिस कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान हो अनुशासनिक कार्यवाही के निर्णय तक समयमान/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार नही किया जायेगा तथा जाँच में निर्दोष पाये जाने पर पूर्ववर्ती देय तिथि से प्रोन्नत/समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा। समयमान/प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति के सम्मुख प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नही होगी इसकी स्वीकृति प्रशासक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ लि0, (उत्तराखण्ड शुगर्स) द्वारा 05 वर्ष का गोपनीय प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने पर की जा सकेगी।

9– पदोन्नति नीति में यह भी प्रस्तावित है कि वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मेरिट पर चयन के आधार पर (Internally performance evaluation द्वारा) एक निर्धारित कार्यावधि के पश्चात् संघ के वेतनमान ₹ 6500–10500 में पदोन्नत किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् वह उच्चतर वेतनमान में उपरोक्त नीति के अनुसार पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे। विभागवार विभिन्न संवर्गो की पदोन्नति, प्रोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानक संलग्न है।

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि0 एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि0

अभियन्ता संवर्ग

अभियन्त्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता जो डिग्री होल्डर थे उन्हें वेतनमान ₹ 8000–13500 में नियुक्त किया गया है परन्तु डिप्लोमा होल्डर को सहायक अभियन्ता पद पर वेतनमान ₹ 6500–10500 नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय सहायक अभियन्ताओं जो पूर्व में शुगर वेजबोर्ड के वेतनमान में फोरमैन/सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे, को भी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया।

अभियन्त्रण संवर्ग में निम्न प्रकार के पदधारक कार्यरत है –

(अ)	सहायक अभियन्ता (डिप्लोमा धारक)	वेतनमान ₹ 6500–10500
(ब)	सहायक अभियन्ता (डिग्री धारक)	वेतनमान ₹ 8000–13500
(स)	उप मुख्य अभियन्ता	वेतनमान ₹ 9650–14600
(द)	मुख्य अभियन्ता	वेतनमान ₹ 10650–16175

उप मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता आदि के उच्च रिक्त पदों पर विभागीय अधिकारियों को चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए भरा जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत डिप्लोमाधारक सहायक अभियन्ता 03 वर्ष बाद एवं ऐसे सहायक अभियन्ता जिन्होंने अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के पदों पर कुल 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें सहायक अभियन्ता ₹ 8000–13500 के वेतनमान पदोन्नति के लिए अर्ह माना जायेगा। कम्पनियों में भविष्य में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु अनुमन्य वेतनमान ₹ 8000–13500 के 70 प्रतिशत वेतन पर लिया जाना प्राविधानित है जिन्हें 02 वर्ष प्रशिक्षण के उपरान्त नियमित वेतनमान ₹ 8000–13500 प्रदान किया जा सकेगा। सहायक अभियन्ता के पद ₹ 8000–13500 में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त उप मुख्य अभियन्ता के पद पर वेतनमान ₹ 9650–14600 में पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे तथा उप मुख्य अभियन्ता वेतनमान ₹ 9650–14600 के पद पर 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त मुख्य अभियन्ता वेतनमान ₹ 10650–16175 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक– 01 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता 12 वर्ष की सेवा के बाद सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे तथा सामान्य प्रबन्धक के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद सामान्य प्रबन्धक समयमान वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन, मैरिट/रिक्ति के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

अभियन्त्रण संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक–01 निम्नवत् प्रस्तुत है –

संलग्नक–01

अभियन्त्रण संवर्ग

सहायक अभियन्ता / सहायक अभियन्ता ग्रेड–द्वितीय (डिप्लोमा धारक) वेतनमान– ₹ 6500–10500	
तीन वर्ष बाद अथवा [illegible] अभियन्ता – सहायक अभियन्ता पद पर कुल 12 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त	
सहायक अभियन्ता वेतनमान– ₹ 8000–13500 तथा सीधी भर्ती सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु को उक्त वेतनमान का 70 प्रतिशत स्टाईपन्ड तथा 02 वर्ष बाद नियमित वेतनमान देय होगा	10 वर्ष बाद उप मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
उप मुख्य अभियन्ता वेतनमान– ₹ 9650–14600 चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद मुख्य अभियन्ता पद पर पदोन्नति न होने की दशा में उप मुख्य अभियन्ता पद का प्रथम समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 एवं उप मुख्य अभियन्ता पद पर 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300–18300 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
मुख्य अभियन्ता ₹ 10650–16175 चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष बाद अगली पदोन्नति न होने की दशा में मुख्य अभियन्ता पद का समयमान वेतनमान ₹ 14300–18300 चयन / मैरिट के आधार पर।
12 वर्ष की सेवावधि के बाद	
सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 के लिए चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर।	10 वर्ष बाद समयमान वेतनमान सामान्य प्रबन्धक के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन / मैरिट के आधार पर।
10 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक चयनमान / समयमान ₹ 16400–20000 चयन / मैरिट के आधार पर	

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि0 एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि0
शर्करा तकनीकी संवर्ग

कम्पनियां की इकाईयों में शर्करा तकनीकी संवर्ग में प्रारम्भिक नियुक्ति लैब इंचार्ज अथवा मैन्युफैक्चरिंग कैमिस्ट के पदों पर की गयी है और भविष्य में भी रिक्त पदों को भरने के लिए इन पदों को भरने की आवश्यकता होगी। तकनीकी संवर्ग में कुछ निर्माण रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला प्रभारी शुगर वेजबोर्ड की परिधि अथवा अन्य वेतन ढाँचे में थे उन्हें मुख्यालय वेतनमान में स्थापित किया गया था। ऐसे कार्मिक जो क्वालीफाईड अर्थात ए0एन0एस0आई0 योग्यताधारक थे उन्हें ₹ 8000–13500 का वेतनमान एवं अन्य नॉन क्वालीफाईड कार्मिकों को ₹ 6500–10500 का वेतनमान अनुमन्य किया गया।

प्रस्ताव किया गया है कि भविष्य में निर्माण रसायनज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए केवल बी0एस0सी0, ए0एन0एस0आई0 (एस0टी0) योग्यताधारक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में 02 वर्ष के लिए ₹ 8000–13500 वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतनमान पर कुल परिलब्धियों के 70 प्रतिशत पर नियुक्त किया जाये तथा 02 वर्ष के उपरान्त निर्धारित वेतनमान देय होगा। इस संवर्ग में निम्न प्रकार के पद है –

(अ)	प्रयोगशाला प्रभारी	वेतनमान ₹ 6500–10500
(ब)	निर्माण रसायनज्ञ	वेतनमान ₹ 8000–13500
(स)	उप मुख्य रसायनज्ञ	वेतनमान ₹ 9650–14600
(द)	मुख्य रसायनज्ञ	वेतनमान ₹ 10650–16175

ऐसे प्रयोगशाला प्रभारी अथवा तकनीकी सहायक जिन्होंने ए0एन0एस0आई0 का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है उन्हें 04 वर्ष की सेवा के बाद निर्माण रसायनज्ञ के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह माना जाये परन्तु ए0एन0एस0आई0 नॉन क्वालीफाइड को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 8000–13500 तथा 18 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 दिया जाना प्राविधानित है। निर्माण रसायनज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती द्वारा ए0एन0एस0आई0 क्वालीफाईड प्रशिक्षु वेतनमान ₹ 8000–13500 में 70 प्रतिशत स्टाईपन्ड पर रखने की व्यवस्था अथवा 02 वर्ष के अनुभवधारक क्वालीफाईड निर्माण रसायनज्ञ सीधे वेतनमान ₹ 8000–13500 में रखा जाना प्राविधानित है। ऐसे निर्माण रसायनज्ञ जिन्होंने वेतनमान ₹ 8000–13500 में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर उप मुख्य रसायनज्ञ वेतनमान ₹ 9650–14600 में प्रोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा। इसी प्रकार ऐसे उप मुख्य रसायनज्ञ जिन्होंने 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें मुख्य रसायनज्ञ वेतनमान ₹ 10650–16175 के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर अर्ह माना जाये।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक– 02 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

अभियन्त्रण संवर्ग की भाँति शर्करा तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों को भी मुख्य रसायनज्ञ पद पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर सामान्य प्रबन्धक के पद के लिए अर्ह एवं सामान्य प्रबन्धक के पद वेतनमान ₹ 14300–18300 में 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक, समयमान वेतनमान ₹ 16400–20000 मे चयन/मैरिट के आधार पर अर्ह माना जायेगा। शर्करा तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक 02 पर प्रस्तुत है।

संलग्नक–02

शर्करा तकनीकी संवर्ग

प्रयोगशाला प्रभारी वेतनमान– ₹ 6500–10500 चयन/मेरिट तथा रिक्ति।	एन0एस0आई0 नॉन क्वालीफाईड 10 वर्ष प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 8000–13500 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 अनुमन्य होगा।
केवल एन0एस0आई0 क्वालीफाईड 04 वर्ष बाद	
निर्माण रसायनज्ञ वेतनमान ₹ 8000–13500 सीधी भर्ती निर्माण रसायनज्ञ प्रशिक्षु 70 प्रतिशत स्टाईपन्ड वेतनमान ₹ 8000–13500 (दो वर्ष बाद नियमित वेतनमान) अथवा सीधी भर्ती दो वर्ष अनुभवधारक ए0एन0एस0आई0 क्वालीफाईड निर्माण रसायनज्ञ।	10 वर्ष बाद उप मुख्य रसायनज्ञ पद पर पदोन्नति न होने की दशा में निर्माण रसायनज्ञ पद का प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 एवं निर्माण रसायनज्ञ पद पर 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
उप मुख्य रसायनज्ञ वेतनमान– ₹ 9650–14600 चयन–मैरिट–रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद मुख्य रसायनज्ञ पद पर पदोन्नति न होने की दशा में उप मुख्य रसायनज्ञ पद का प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 एवं उप मुख्य रसायनज्ञ पद पर 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300–18300 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
मुख्य रसायनज्ञ ₹ 10650–16175 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष बाद अगली पदोन्नति न होने की दशा में मुख्य रसायनज्ञ पद का समयमान वेतनमान ₹ 14300–18300 चयन/मैरिट के आधार पर।
12 वर्ष की सेवावधि के बाद	
सामान्य प्रबन्धक पद के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 14300–18300 के लिए चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद समयमान वेतनमान सामान्य प्रबन्धक के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन/मैरिट के आधार पर।
10 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक समयमान वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन/मैरिट के आधार पर	

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि0 एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि0

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग में इकाईयों में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता तैनात है। इस संवर्ग में इकाईयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप सुपरवाईजरी–ए, सुपरवाईजरी–बी, सुपरवाईजरी–सी आदि में कार्यरत अवर अभियन्ता कम्पनी की सेवा में लिये गये है उनमें से कुछ वेजबोर्ड के वेतनमान में ही कार्यरत है। कालान्तर में कतिपय डिप्लोमा होल्डर अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नतियाँ कम्पनी के वेतनमान ₹ 6500–10500 में प्रदान की गयी है। सीधी भर्ती से लिये गये डिग्री होल्डर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियाँ वेतनमान ₹ 8000–13500 में की गयी है।

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग में निम्न प्रकार के पदधारक कार्यरत है –

(अ) सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 6500–10500 (डिप्लोमा)
(ब) सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 8000–13500 (डिग्री)

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग का गठन चीनी मिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/ प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्यता के आधार पर प्रारूप–03 में अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा।

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप–03 निम्नवत् प्रस्तुत है –

प्रारूप–03

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग

सहायक अभियन्ता (सिविल) कम्पनी वेतनमान– ₹ 6500–10500	
तीन वर्ष बाद सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 8000–13500 कम्पनी में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता की 12 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त तथा	
सीधी भर्ती सहायक अभियन्ता (डिग्री धारक)/ (अनुभव धारक) वेतनमान ₹ 8000–13500	10 वर्ष बाद की अविरल संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर अविरल संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि0 एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि0

लेखा संवर्ग

लेखा संवर्ग में इकाई स्तर पर लेखाकार/सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक आदि से प्रोन्नत होकर कार्मिक सुपरवाईजरी–वी ग्रेड तक पहुँचते है और इसके उपरान्त कुछ योग्य कार्मिकों को वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पूर्व में प्रोन्नत किया गया है। वर्तमान में इकाईयों में जो वरिष्ठ लेखाकार कार्यरत है ये अधिकांशतः मुख्यालय के वेतनमान ₹ 6500–10500 में स्थापित किये गये है।

प्रारम्भ में कम्पनी इकाईयों में लेखा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सामान्यतया आन्तरिक सम्प्रेक्षक अथवा मुख्य लेखाकार के पदों पर की गयी है। कालान्तर में कुछ आन्तरिक सम्प्रेक्षकों को पदोन्नत कर मुख्य लेखाकार अथवा उप मुख्य लेखाकार बनाया गया है।

अब वरिष्ठ लेखाकार के पद से ऊपर के पदों को पदोन्नति नीति के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गयी है। लेखा संवर्ग में निम्न प्रकार के पदधारक कार्यरत है –

(अ)	वरिष्ठ लेखाकार	वेतनमान ₹ 6500–10500
(ब)	उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक	वेतनमान ₹ 8000–13500
(स)	मुख्य लेखाकार	वेतनमान ₹ 10000–15200
(द)	सामान्य प्रबन्धक	वेतनमान ₹ 14300–18300

ऐसे वरिष्ठ लेखाकार जिन्होने सी0ए0 (इन्टर) अथवा आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टर) की योग्यता प्राप्त कर ली हो उन्हें 10 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त चयन के माध्यम से रिक्ति/मैरिट के आधार पर उप मुख्य लेखाकार अथवा आन्तरिक सम्प्रेक्षक के पद वेतनमान ₹ 8000–13500 में पदोन्नति के लिए अर्ह माना जायेगा। पदोन्नतियाँ 50 प्रतिशत आन्तरिक सम्प्रेक्षक के पद पर तथा 50 प्रतिशत उप मुख्य लेखाकार के पदों पर की जायेंगी। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक के पदों पर वेतनमान ₹ 8000–13500 सी0ए0/आई0सी0डब्लू0ए0 शैक्षिक योग्यता तथा 03 वर्षो का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों में से भरा जा सकेगा। उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक वेतनमान ₹ 8000–13500 पर 08 वर्ष की सेवा के बाद मुख्य लेखाकार वेतनमान ₹ 10000–15200 पद पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर किया जायेगी।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक– 04 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत मुख्य लेखाकार को 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा। पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जायेगी। ₹ 14300–18300 के वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक चयन वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन/मैरिट के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

लेखा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक –04 के रूप में प्रस्तुत है।

संलग्नक–04

लेखा संवर्ग

वरिष्ठ लेखाकार वेतनमान– ₹ 6500–10500	योग्यता : सी0ए0 (इन्टर), आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टर) अर्हता वाले 50 प्रतिशत आन्तरिक सम्प्रेक्षक तथा 50 प्रतिशत उप मुख्य लेखाकार पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह होंगे।
10 वर्ष बाद उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक वेतनमान ₹ 8000–13500 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर। तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक वेतनमान ₹ 8000–13500 योग्यता सी0ए0 (इन्टर), आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टर) तथा 03 वर्षो का अनुभव	10 वर्ष बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10000–15200 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
मुख्य लेखकार वेतनमान ₹ 10000–15200 पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान /प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300–18300 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 पद के लिए चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर अर्ह	
10 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक चयनमान वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर अनुमन्य होगा।	

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि0 एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि0

गन्ना विकास एवं विपणन संवर्ग

वर्तमान में गन्ना विकास संवर्ग में कम्पनी वेतनमान में गन्ना प्रबन्धक एवं मुख्य गन्ना प्रबन्धक के पद सृजित है परन्तु पूर्व में कतिपय सहायक गन्ना प्रबन्धकों को शुगर वेजबोर्ड के सुपरवाईजरी–ए में नियुक्त किया गया था। इस संवर्ग में गन्ना प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नतियाँ अथवा चयन तत्समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत् रखते हुए सहायक गन्ना प्रबन्धकों तथा अधीक्षकों से की गयी है। गन्ना अधीक्षक के पदधारक कम्पनी की सेवा में अधिग्रहण के फलस्वरूप आये है एवं वेजबोर्ड के सुपरवाईजरी–बी ग्रेड के वेतनमानों में कार्यरत है। किन्हीं अधिग्रहित इकाईयों में उप गन्ना प्रबन्धक अथवा गन्ना विकास अधिकारी आदि के पद धारक भी वेजबोर्ड–बी/सुपरवाईजरी–ए ग्रेड में कार्यरत है।

प्रस्तावित किया गया है कि पात्र एवं अनुभवधारक सहायक गन्ना प्रबन्धक/गन्ना अधीक्षक, उप गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी आदि को पदोन्नति का अवसर प्रदान करते हुए गन्ना प्रबन्धकों के रिक्त पदों को भरा जाये। इस सम्बन्ध में वर्तमान में निम्न वेतनमान में पद उपलब्ध है –

(अ)	गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी	वेतनमान ₹ 6500–10500
(ब)	मुख्य गन्ना प्रबन्धक	वेतनमान ₹ 10000–15200
(स)	उप सामान्य प्रबन्धक (गन्ना)	वेतनमान ₹ 10650–16175

गन्ना प्रबन्धक वेतनमान ₹ 6500–10500 में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त मुख्य गन्ना प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10000–15200 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा। पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जायेगी। मुख्य गन्ना प्रबन्धक से उप सामान्य प्रबन्धक (गन्ना) वेतनमान ₹ 10650–16175 में पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जायेगी।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक– 05 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत उप सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10650–16175 के पद पर 12 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 में पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर तथा इसके उपरान्त 10 वर्ष के बाद सामान्य प्रबन्धक का चयन वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन/मैरिट के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

गन्ना विकास एवं विपणन संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक–05 पर प्रस्तुत है।

संलग्नक–05

गन्ना विकास एवं विपणन संवर्ग

गन्ना प्रबन्धक / गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान– ₹ 6500–10500 चयन / मैरिट / रिक्त। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (कृषि)	10 वर्ष बाद चयन वेतनमान ₹ 8000–13500 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 अनुमन्य होगा।
05 वर्ष बाद	
गन्ना प्रबन्धक / गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान ₹ 8000–13500 अथवा सीधी भर्ती गन्ना प्रबन्धक / गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान ₹ 8000–13500 न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एम0एस0सी0 (कृषि)	10 वर्ष की सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10000–15200 चयन / मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
मुख्य गन्ना प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10000–15200 में चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175 तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300–18300 चयन / मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
उप सामान्य प्रबन्धक (गन्ना) वेतनमान ₹ 10650–16175 चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300–18300 तथा 23 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान / प्रोन्नति वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन / मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।
12 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर।	
10 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक का चयन वेतनमान ₹ 16400–20000 चयन / मैरिट / रिक्ति के आधार पर।	

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि0 एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि0

सामान्य संवर्ग

मिलों के अधिग्रहण के फलस्वरूप सामान्य संवर्ग में विभिन्न पदधारक कार्यरत है। अतः प्रस्तावित है कि प्रबन्धक पद पर वेतनमान ₹ 10000–15200 के लिए वे ही अधिकारी अर्ह माने जायेंगे जो विभिन्न प्रकार के सामान्य प्रबन्धक के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य है। प्रबन्धक पद पर 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त उप सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10650–16175 के पद पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जानी प्राविधानित है तथा इसके उपरान्त 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 के पद पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर प्रदान की जायेगी।

सामान्य संवर्ग में अधिकारियों के लिए पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान प्रारूप–06 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। सामान्य संवर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति का प्रारूप–06 निम्नवत् है –

प्रारूप–06

सामान्य संवर्ग

प्रशासनिक अधिकारी तथा कम्पनी के वेतनमान ₹ 6500–10500 के अन्य पदधारक	
08 वर्ष बाद	
सहायक प्रबन्धक वेतनमान ₹ 8000–13500 (वेतनमान ₹ 6500–10500 के सामान्य संवर्ग के अधिकारियों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत पदों पर) चयन/मैरिट/रिक्ति।	12 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650–14600 तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10000–15200 अनुमन्य होगा।
10 वर्ष बाद	
प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10000–15200 (वेतनमान ₹ 6500–10500/₹ 8000–13500/₹ 9650–14600 वेतनमान के कुल कार्यरत अधिकारियों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत पदों पर) चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर।	15 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650–16175
12 वर्ष बाद	
उप सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10650–16175 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300–18300 अनुमन्य होगा।
12 वर्ष की सेवावधि के बाद	
सामान्य प्रबन्धक पद के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 14300–18300 के लिए चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	